International Journal of Applied Research 2016; 2(3): 717-718

ISSN Print: 2394-7500
ISSN Online: 2394-5869
Impact Factor: 5.2
IJAR 2016; 2(3): 717-718
www.allresearchjournal.com
Received: 23-01-2016
Accepted: 26-02-2016

डॉ0 कुसुम
शिक्षाशास्त्र डॉ0 राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय फैजाबाद ।

Correspondence
डॉ0 कुसुम
शिक्षाशास्त्र डॉ0 राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय फैजाबाद ।

अजीविका के रूप में अध्यापक शिक्षा

डॉ0 कुसुम

अध्यापक – शिक्षक वह पारस पत्थर है
लोहे को स्वर्ण बनाता है
हाड़ मास के निर्मित पुतले में
सद्गुण विकसाता है।
ईश्वर से भी जो महान है।
पथ प्रशस्त करने वाला
लघु से दीर्घ बना करके
फिर उच्च शिखर पर लाता है ।

भारत ऐतिहासिक रूप से ही शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी रहा है। भारत में अध्यापक शिक्षा उतनी ही प्राचीन है जितनी कि भारतीय शिक्षा अध्यापक शिक्षा के औपचारिक स्वरूप का प्रचलन बहुत पुराना है। लेकिन यदि अनौपचारिक दृष्टिकोण से देखा जाय तो भारत में अध्यापक शिक्षा का विकास प्राचीन काल से ही देखने को मिलता है। यह महत्वपूर्ण बात है कि जिस समाज में शिक्षा का अस्तित्व है वहाँ पर शिक्षा और छात्र का अस्तित्व अवश्य होगा।
अध्यापक शिक्षा से तात्पर्य अध्यापको के प्रशिक्षण से है। एक सक्षम, आत्मनिर्भर, अनुशासित, चरित्रवान आदि गुणों से युक्त विद्यार्थी के लिए आवश्यक है उसकी उच्च कोटि की शिक्षा व्यवस्था जो न केवल पाठ्यक्रम से पूरी की जा सकती है बल्कि उसके लिए एक सक्षम अध्यापक की भी आवश्यकता होती है। इसी आवश्यकता की पूर्ति हेतु अध्यापको को विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है। उसे ही अध्यापक शिक्षा कहते है।

अध्यापन एक आजीविका – प्राचीन काल में अध्यापन एवं शिक्षण को एक सेवा के रूप में देखा जाता था। जब ज्ञान दान का एक परम पवित्र और महत्वपूर्ण सामाजिक हित के कार्य के रूप में स्वीकृति और मर्यादा दी जाती थी।
क्रमशः अर्वाचीन काल में यह एक व्यवसाय का रूप लेता गया। और अध्यापक/ अध्यापिकाये वेतन लेकर उसके एवज में ज्ञान देने का कार्य करने लगे। आधुनिक काल में उसे एक उद्यम या आजीविका का रूप प्रदान किया जा रहा है क्योंकि विश्वद्यिालय विज्ञान आयोग नें इस दिशा में अपनी सहमति व्यक्त कर दी है। बाद में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के द्वारा भी अध्यापन को आजीविका के रूप में मान लिया गया और इस हेतु गुणात्मक सुधार और स्तरोन्नयन की आवश्यकता पर बल दिया गया। आजीविका आर्थिक दृष्टि से व्यक्ति को सुदृढ़ बनाने के साथ ही आत्मनिर्भरता की ओर ले जाती है लेकिन इस हेतु अजीविकागत अभ्यास या प्राफेशनल प्रैक्टिस की निरंतरता को बनाये रखने की अपरिहार्यता भी होती है। बिना अभ्यास किसी कौशल में दक्षता की प्रप्ति नही हो सकती और न ही प्रतिबद्धता और निष्पादन में स्वरोन्नयन ही संभव हो पाता है।

आजीविकार्थ अध्यापकीय तैयारी – राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् के द्वारा अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्ता स्तरोन्नयन को ध्यान में रखते हुए दक्ष एवं प्रत्तिबद्ध अध्यापकीय तैयारी को आवश्यक माना गया। प्रो0 आर0 एच0 दवे समिति के प्रतिवेदन जो प्राथमिक स्तर पर न्यूनतम अधिगम स्तर बल देने के लिए चर्चित रहा है को स्वीकृति देते हुए परिषद् ने गुण्वत्ता में सुधार अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में अजीविकार्थ अध्यापकीय तैयारी को व्यवहारिक माना है। ज्ञान तथा सूचना प्रौद्योगगिकी के क्षेत्र में क्रम विस्तार के फलस्वरूप विश्व को एक ग्लोबल विलेंज के रूप में देखा जा रहा है जिसके फलतः अध्यापकीय भूमिका और दायित्व का विस्तारण हो रहा है। कक्षा कक्ष सीमा के आगे यह क्षेत्र क्रमशः विस्तृत होते हुऐ दायित्व वृद्धि के कारण अध्यापकीय कार्य क्षेत्र में जटिलतायें भी बढ़ती जा रही है। प्राथमिक स्तर पर सर्व शिक्षा को स्वीकृति दिये जानें के बाद अधिगम कर्ताओं की संख्या में

भी विस्तार को आज अस्वीकृत नही किया जा सकता है। यह विस्तृति अवश्य ही शिक्षण गुण्वत्ता स्तर को प्रभावित कर सकती है। अधिगम वातावरण विद्यालय समुदाय सम्बन्ध अध्यापकीय भूमिका , अधिगम प्रारूप आदि में भी परिवर्तन की संभावना को अवहेलित नही किया जा सकता आनन्द पूर्ण स्वतन्त्र वातावरण में क्रियाधारित पद्धति से सहभागिता मूलक अधिगम की समाजिक अपेक्षा अवश्य ही अध्यापक/अध्यापिकाओं को अजीविकागत शिक्षण तथा प्रशिक्षण को ग्रहण करने के लिए वाह्य कर सकती है। अधिगम के लिए समान अवसर मिलना और न्यूनतम अधिगम सीमा को प्राप्त करना प्रत्येक अधिगमकर्ता का आज अधिकार है इस हेतु वैयक्तिक अधिगम को महत्व दिये बिना काम नही चल सकता है। साथ ही छात्रो के अधिगम सम्बन्धी कठिनाइयो को दूर करने के लिए भी प्रयास अध्यापकीय दायित्व हाने के कारण जटिलता और भी आधिक होगी इस हेतु उपचारात्मक शिक्षण की सहायता लेने की आवश्यकता होगी ज्यों ज्यों कक्षा अधिगमकर्ताओं की संख्या एवं विविधता में अन्तर बढ़ेगा शिक्षण कार्य अधिक कठिन होता जायेगा। अतः अध्यापकीय कुशलता एवं दक्षता में भी वृद्धि जरूरी है।

आजीविका के प्रतिबद्धता– यदि एक अध्यापक या अध्यापिका अपनी आजीविका (अध्यापन) के प्रति गर्व का अनुभव करने वाला हो तथा आजीविका विकास के लिए अग्रणी हो तो अवश्य ही वह इस दिशा में अपनी प्रतिबद्धता का परिचय दे सकता है। प्रायः बेरोजगारी के कारण अध्यापन को आजीविका के रूप में ग्रहण करने की वाह्यता की स्थिति में ऐसा संभव नही हो पाता है। यदि वह अपने आप को वास्तविक राष्ट्र निर्माता के रूप में स्वीकार नही कर पाता है तो प्रतिबद्धता की कमी संभव है।

न हो तो राष्ट्र नेता और न ही प्रशासनिक अधिकारी भावी पीढ़ी को तैयार करने में सक्षम हैं चाहे वह कितना ही बड़ा अधिकारी क्यों न हो अपने पुत्र पुत्री की शिक्षा हेतु उंसे विद्यालय में एक अध्यापक या अध्यापिका के पास ही जाना होता यदि वह चाहे तो उसका भविष्य उसका चरित्र और उसके व्यक्तित्व को बना सकता है या फिर चाहे तो बिगाड़ भी सकता है। यह अधिकार जिस व्यक्ति को प्राप्त हो वह वास्तव में राष्ट्र निर्माता अवश्य ही है।

भले ही समाज या राष्ट्र उसे उपयुक्त मर्यादा प्रदान करने में अक्षम क्यों ना साबित हो। एक प्रतिबद्ध अध्यापक/अध्यापिका अवश्य ही अपनी आजीविकागत नैतिकता और कर्तव्य का अनुपालन करता है। चाहे उसे सामाजिक प्रतिदान या ना मिले।

सेवापूर्वकालीन आजीविकागत अध्यापक शिक्षा– इसे एक रूपान्तरण प्रक्रिया के रूप में परिवर्तित कर पाना संभव हो सकता है। इसमें उपयुक्त शिक्षण तथा प्रबन्ध कौशल के विकास

सेवापूर्वकालीन आजीविकागत अध्यापक शिक्षा इसे एक रूपान्तरण प्रक्रिया के रूप में स्वीकृत किया गया जिसमें एक अकुशल व्यक्ति को एक दक्ष एवं प्रतिबद्ध आजीविका अभ्यर्थी शिक्षक के रूप में परिवर्तित कर पाना संभव हो सकता है। इसे उपयुक्त शिक्षण तथा प्रबन्ध कौशलौ के विकास अभिवृन्ति निर्माण सफल अधिगम के लिए शन्यो का आत्मसतीकरण आदि को विशेष महत्व दिया जाता है। साथ ही अध्यापन, अधिगम अनुभवो को अधिक जीवनोपयोगी (Proctiable)] सार्थक (relevant) स्वीकारणीय (Acceptable) स्वरूप प्रदान करने के लिए प्रयास किया जाता है। भूमिका निर्वहन और निष्पादन के क्षेत्र में परिवर्तन को ध्यान में रखते हुये भी शिक्षण प्रशिक्षण की व्यवस्था व्यापक कार्यक्रम में की जाती है। यह भावी अध्यापक/ अध्यापिकाओं के विद्यालयीय तथा महाविद्यालय स्तरीय शैक्षिक तथा अन्य अनुभवों पर निर्भर करता है। अध्यापक शिक्षक के लिए एक आदर्श भूमिका, प्रतिमान, अनुभव विहीन व्यक्ति को प्रशिक्षित आजीविका संगलग्न व्यक्तित्व में परिर्तित कर सकता है। अभ्यास विद्यालय के अनुभवी विद्यालययी अध्यापक/अध्यापिकाओं की भी इसमें एक अन्य प्रमुख भूमिका होती है साथ ही अध्यापक निर्माण पाठ्य जिसमें गहन शैक्षिक सिद्धांत का अध्ययन और कक्षागत शिक्षण का अभ्यास और उपयुक्त अभिवृन्ति , मूल्य तथा प्रतिबद्धता निर्माण आदि सम्मिलित होते है, की भी भूमिका होती है। उपयुक्त पाठ्यक्रम के अभाव में आजीविका सम्बन्धी शिक्षण–प्रशिक्षण प्रदान करना कठिन हो जाता है। इन समस्त कार एवं प्रक्रिया का संचयी तथा अन्तक्रियात्मक प्रभाव एक शिक्षा आजीविका व्यक्तित्व के निर्माण में

महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करता है। वांछित गुणवत्ता और आजीविकागत मूल्य तथा नैतिकता के बारे प्रारम्भिक ज्ञान प्रदान करना और भावबोध तथा अभिवृन्ति निर्माण करना सेवापूर्व अध्यापक शिक्षा संबन्धी कार्यक्रम के माध्यम से ही संभव हो सकता है। जिसकी निरंतरता को बनाये रखने के लिए सेवाकालीन आजीविकागत कार्यक्रम की आवश्यकता होती है। जो अध्यापक शिक्षा के व्यापक स्वरूप का दूसरा महत्वपूर्ण अवयव है।

–: सेवाकालीन आजीविकागत अध्यापक शिक्षा सेवापूर्व आजीविकागत अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम जहाँ आजीविकागत परिवर्तन के लिए प्रारम्भिक सशक्तीकरण और बौद्धिक चेतना विकास को सहायता प्रदान करना है। वहीं पर सेवाकालीन अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम के माध्यम से विद्यालय प्रणाली में हाने वाले परिवर्तन के साथ परिवर्तन और सशक्तीकरण को बनाये रखने की दिशा में सहायता प्राप्त होती है।